न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : रावतभाटा

संजय कुमार बनाम श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं0 05/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस पर जारी हुए
06/01/2022	पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर / प्रतिवादी गण / प्रार्थी गण को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25-01-2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	
25/01/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित। प्रार्थी संजय कुमार पिता श्री मीठालाल जैन निवासी रावतभाटा तहसील रावतभाटा ने ग्राम गोपालपुरा प०ह० भैंसरोड़गढ़ स्थित स्वयं की खातेदारी की आराजी संख्या नयी 451 व पुरानी 181 रकबा 1.08 हे० की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी संजय कुमार पिता मीठालाल जैन निवासी रावतभाटा तहसील रावतभाटा की ग्राम-गोपालपुरा प०ह० भैंसरोड़गढ़ स्थित आ०सं. 451 रकबा 1.08 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढ़ी खर्चा प्रार्थी वहन करेंगे। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपये अक्षरे पाँच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावें कि पक्षकारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आ० की पत्थरगढ़ी की जावें एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करें। पालना प्राप्त हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	